राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

पत्रांक : 878 / रा.नि.आ.-3/1379/2013

दिनांक 15.10.2018

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

प्रेषक,

चन्द्रशेखर भट्ट,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड ।

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून ।

राज्य निर्वाचन आयोगः अनुभाग–3
देहरादून।

विषयः– नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन–2018 में आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी होने के फलस्वरूप स्थानान्तरण तथा अन्य कतिपय कार्यों पर रोक।

महोदय,

कृपया नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन–2018 की अधिसूचना **दिनांक 15 अक्टूबर, 2018** को जारी हो गई है। उक्त निर्वाचन **दिनांक 20 नवम्बर, 2018** तक सम्पन्न होंगे। इस निर्वाचन को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से सम्पादित करने हेतु यह अत्यन्त आवश्यक है कि आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू की जाय, जो नागर निकाय निर्वाचन की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।

2– इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नागर निकाय सामान्य निर्वाचन, 2018 को दृष्टि में रखते हुए आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जिसके फलस्वरूप राज्य के सभी जिलों में कार्यरत विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण तथा नई नियुक्तियॉ/भर्ती आदि इस अवधि में नहीं की जायेगी।

यह प्रतिबन्ध कानून व्यवस्था एवं निर्वाचन से सम्बन्धित आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, पी0सी0एस0 एवं पी0पी0एस0 संवर्ग के अधिकारियों पर भी लागू रहेगा।

3– उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न कार्यों के क्रियान्वयन पर भी रोक रहेगीः–

1– आग्नेयास्त्रों एवं उनके व्यवसाय हेतु लाइसेंस जारी किया जाना।
2– नगर निगम, नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों द्वारा भूमि, दुकान, भवन आदि के आवंटन/पट्टों पर देने की कार्यवाही किया जाना।
3– नागर निकायों की चल–अचल सम्पत्तियों का हस्तान्तरण किया जाना।
4– नागर निकायों सम्बन्धी मामलों में ठेके, तहबाजारी आदि की नीलामी की कार्यवाही किया जाना।
5– नागर निकाय क्षेत्र में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के नये लाइसेंस प्रदान करना।
6– नागर निकायों में नये निर्माण कार्यों की स्वीकृति, उनके लिए धन आवंटन तथा नया निर्माण कार्य प्रारम्भ करना।

क्रमशः.........2

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास ,रिंग रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड)
दूरभाष : 0135 - 2670457 , 2670998
टैलीफैक्स : 0135 - 2670920 , 2678945
ई - मेल : sec.uttarakhand@gmail.com

4– यह भी स्पष्ट करना है कि उक्त अवधि में नागर निकाय क्षेत्रों में सांसद निधि, विधायक निधि व अन्य किसी शासकीय निधि से नये निर्माण कार्य न तो स्वीकृत किये जायेंगे, न तो क्रियान्वित किये जायेंगे और न ही उनकी घोषणा की जायेगी, परन्तु जो कार्य निर्वाचन अधिसूचना जारी होने के पूर्व से स्वीकृत है और प्रारम्भ हो चुके हैं वे यथावत् चलते रहेंगे तथा ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों की स्वीकृति, धनावंटन तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने पर कोई रोक नहीं रहेगी। परन्तु ऐसे शासकीय कार्यों की घोषण्ा, शिलान्यास एवं उद्घाटन/लोकार्पण नहीं किये जा सकेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चन्द्रशेखर भट्ट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्याः 878/रा0नि0आ0–3/1379/2013 तद्दिनांक।(ई0मेल0)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– उत्तराखण्ड शासन के समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव।
2– समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
4– समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय निकाय) उत्तराखण्ड।
5– समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
6– समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
7– गार्ड फाईल।

(रोशन लाल)
सचिव